... एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज0 जयपुर

UGC वेतनमान

Email 10.30 Am
dt 9-12-2019

43

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज0 जयपुर ।

क्रमांकः एफ 1/व्य.एवं प./पीएफ/2019–20/2874-2950 दिनांकः 09.12.2019

परिपत्र

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13(2)वित्त(नियम) 98 दिनांकः 07.05.1999, एफ 14(1) वित्त(नियम)/2009 दिनांकः 12.10.2009 एवं एफ 9(1) वित्त(नियम)/2018 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान के वेतन नियतन एरियर से राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ (शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों सहित) के सामान्य प्रावधायी निधि के व्यक्तिगत खातों में जमा कराने एवं उस पर ब्याज के संबंध में विभाग के संभाग/जिला कार्यालयों से मार्गदर्शन के प्रकरण लगातार प्राप्त हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11(ii) के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान आदेशों में ऐरियर की राशि जीपीएफ खाते में कराये जाने का उल्लेख है तथा ऐरियर की राशि खाताधारक (Account Holder) के खाते में जमा होने पर ब्याज की गणना नियम 14(3) के अनुसार नियम 11(i)(ii) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेशित जमा राशि पर ब्याज की गणना विभाग में प्राप्त होने की तिथि का विचार किये बिना राशि जमा के आदेश प्रसारित किये जाने की तिथि से की जायेगी ।

सेवानिवृत/स्वेच्छिक सेवानिवृत/मृतक कार्मिकों के प्रकरण में वेतन एरियर राशि यदि कोई देय है तो यह नकद भुगतान की जायेगी, सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा नहीं की जावेगी, क्योंकि नियमों के नियम 3(2) के अनुसार "खाताधारक की राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति अथवा विनिर्दिष्ट संस्थान, जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत सेवा समाप्ति पर यह योजना लागू नहीं रहेगी" एवं नियम 12 के अनुसार "अभिदाता की मृत्यु, सेवा से त्याग पत्र, पदच्युत कर दिये जाने, हटाये जाने, सेवा निवृति से पूर्व अवकाश पर जाने या सेवा निवृति से 3 माह पूर्व उसकी कटौती बंद हो जायेगी । इसलिए नियम 3(2) एवं नियम 12 के अनुसार जब अभिदाता का अंशदान ही खाते में जमा होना बंद हो जाता है जो ऐसी स्थिति में वेतन राशि भी जमा नहीं की जा सकती है । यह वित्त नियम के सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक

क्रमांकः एफ 1/व्य.एवं प./पीएफ/2019–20/2874-2950 दिनांकः 09.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर ।
2. संभागीय अतिरिक्त निदेशक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, संभाग........(समस्त)।
3. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला........(समस्त)।
4. रक्षित पत्रावली ।

(लक्ष्मीनारायण बैरवा)
अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)